रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247] नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2008/वैशाख 17, 1930
No. 247] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2008/VAISAKHA 17, 1930

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2008

सा.का.नि. 341(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 55 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमांकक (परिषद् के सदस्य का नामनिर्देशन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) अभिप्रेत है ।

(ख) "सदस्य" से इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् में नामनिर्देशित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किए गए और इनमें परिभाषित न किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ हैं, जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. **नामनिर्देशनों के लिए विचार का क्षेत्र.**—केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (iii) के अधीन परिषद् के सदस्यों का निम्नलिखित में से नामनिर्देशन करेगी,—

(क) ऐसे व्यक्ति जिनके पास जीवन बीमा या साधारण बीमा के क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान है और वे किसी बीमा कंपनी में कार्य नहीं कर रहे हैं,

(ख) ऐसे व्यक्ति जिनके पास वित्त संबंधी क्षेत्र में कार्यसाधक अनुभव है,

(ग) अर्थशास्त्र, विधि और लेखाकर्म के क्षेत्र में शिक्षाविद् या विशेषज्ञ,

(घ) किसी अन्य विद्याशाखा से कोई विशेषज्ञ जिसे केन्द्रीय सरकार परिषद् के लिए उपयोगी समझे :

परंतु यह है कि इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति, संस्था का कोई सदस्य नहीं होगा ।

[फा. सं. 97/11/2003-आईएनएस. III (i)]

तरुण बजाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2008

G.S.R. 341(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 55, read with sub-section` (2) of Section 12 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Actuaries (Nomination of Member to the Council) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006).

(b) "Member" means a person nominated to the Council by the Central Government under these rules.

(2) All other words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Field of consideration for nominations.-** The Central Government shall make nominations of Members to the Council under sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (2) of section 12 of the Act from amongst,-

(a) persons having working knowledge in the fields of life insurance or general insurance and who should not be working with any insurance company,

(b) persons having experience of working in the field of Finance,

(c) academicians or experts in the field of economics, law and accountancy,

(d) an expert from any other discipline which the Central Government may consider useful to the Council:

Provided that the persons so nominated shall not be a member of the Institute.

[F. No. 97/11/2003-Ins. III (i)]

TARUN BAJAJ, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2008

सा.का.नि. 342(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 45 और धारा 46 के साथ पठित धारा 55 की उपधारा (2) के खंड (च) और खंड (छ) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**,- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमांकक क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड (बैठको की प्रक्रिया, और अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**, - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) अभिप्रेत है ।

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन गठित क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड अभिप्रेत है,

(ग) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन संरचित संस्थान की परिषद् अभिप्रेत है ;

(ङ) "संस्थान" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय बीमांकक संस्थान अभिप्रेत है ;

(च) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है ;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किए गए और इनमें परिभाषित न किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ हैं, जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. **बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया**--(1) बोर्ड की सभी बैठकें साधारणतया संस्थान के मुख्यालयों में होंगी ।

(2) किसी बैठक की तारीख और समय अध्यक्ष द्वारा नियत किए जाएंगे :

परंतु प्रत्येक ऐसी बैठक की निश्चित तारीख से 15 दिन से अन्यून की पूर्व सूचना अध्यक्ष या उसकी ओर से उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बोर्ड के अन्य सदस्य को दी जाएगी :

परंतु यह और कि अध्यक्ष, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से कम सूचना पर कोई बैठक बुला सकेगा :

परंतु यह भी कि किन्हीं दो बैठकों के बीच छह मास से अनधिक समय व्यपगत हो गया हो ।

(3) किसी कारबार के संव्यवहार के लिए बोर्ड की किसी बैठक की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी और जिनमें से कम से कम एक सदस्य को अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाना चाहिए ।

(4) अध्यक्ष, बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परंतु यह कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्य, बैठक के दिन उपस्थित सदस्यों में से किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे ।

(5) वे सभी प्रश्न, जो बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष आते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

4. **कारबार का संव्यवहार**-- बोर्ड के कारबार का, सामान्यतः बोर्ड की बैठक में संव्यवहार किया जाएगा ।

5. **बोर्ड की बैठक के लिए कार्य-सूची**--(1) बोर्ड की किसी बैठक के लिए कार्य-सूची का अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार या परिषद् द्वारा उसको निर्देशित कोई विषय, ऐसी समय-सीमा के भीतर जो ऐसे निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए, बोर्ड की बैठक की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाएगा ।

(3) अध्यक्ष, उपयुक्त मामलों में किसी मुद्दे पर कार्य-सूची टिप्पण और संबंधित कागज-पत्र, परिचालन द्वारा बोर्ड के सदस्यों के बीच परिचालित करेगा :

परन्तु यदि बोर्ड के दो या अधिक सदस्य यह अपेक्षा करें कि किसी प्रश्न को किसी बैठक में विनिश्चित किया जाए तो अध्यक्ष, कागज-पत्रों को परिचालन से वापस लेगा तथा प्रश्न को बोर्ड की बैठक में अवधारित कराएगा ।

(4) कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा लिया गया कोई विनिश्चय सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा और बोर्ड की अगली बैठक में अभिलिखित किया जाएगा ।

6. बोर्ड द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाएं – बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में , -

(क) स्वयं या संस्थान के अधीन स्थापित किसी विशेषित व्यवस्था के माध्यम से संस्थान के सदस्यों द्वारा किए गए कार्य और उपलब्ध कराई गई सेवाओं की क्वालिटी का मूल्यांकन और पुनर्विलोकन ऐसी रीति में कर सकेगा, जो विनिश्चित की जाए ;

(ख) संस्थान के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया या मूल्यांकन की कसौटी अधिकथित कर सकेगा और ऐसी सेवाएं उपलब्ध कर रहे व्यष्टिकों और फर्म का पुनर्विलोकन करने के लिए ऐसी रीति में चयन कर सकेगा जो विनिश्चित की जाए ;

(ग) संस्थान, परिषद् या उसकी समितियों, सदस्यों, सदस्यों के ग्राहकों या अन्य व्यक्तियों या संगठनों से ऐसे प्ररूप और रीति में जानकारी मांग सकेगा जो विनश्चित की जाए तथा उनको सुनवाई का अवसर भी दे सकेगा ;

(घ) विशेषज्ञ, तकनीकी सलाह या राय या विशलेषण या कोई विषय या मुद्दे उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा, जो बोर्ड, संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कार्य और सेवाओं की क्वालिटी का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत महसूस करे ;

(ङ) संस्थान के सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए, उनकी वृत्तिक सक्षमता और अर्हताओं, कार्य की क्वालिटी तथा प्रस्तावित सेवाओं में सुधार करने हेतु तथा विभिन्न कानूनी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं तथा उससे संबंधित अन्य विषय का पालन करने के लिए परिषद् को सिफारिशें कर सकेगा ।

7. बोर्ड को सहायता, — संस्थान, निम्नलिखित को उपलब्ध कराने के लिए एक विशेषिक तकनीकी एकक की स्थापना करेगा , —

(क) अनुसचिवीय सहायता उपलब्ध कराना, जो बोर्ड को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित हों ;

(ख) सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की क्वालिटी का पुनर्विलोकन करने में बोर्ड की सहायता करना ।

8 . बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें —

(1) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे ।

(3) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्यों को, नियम 10 के अधीन यथाउपबंधित के सिवाय हटाया या वापस नहीं लिया जाएगा ।

9. भत्ते – (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्य उन यात्रा और दैनिक भत्तों के हकदार होंगे जो उन्हें उनकी शासकीय हैसियत में अनुज्ञेय हैं और यदि सदस्य कोई सरकारी सेवक नहीं है तो वह उन यात्रा और दैनिक भत्तों का हकदार होगा जो संस्थान के मुख्यालयों में बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए भारत सरकार के किसी संयुक्त सचिव के वेतनमान वाले किसी पद का धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय हैं, यदि उनके निवास का स्थान संस्थान के मुख्यालयों से भिन्न हैं ।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य को, जिसके निवास का स्थान वही है जो बोर्ड का स्थान है,बोर्ड की बैठकों के संबंध में की जाने वाली स्थानीय यात्राओं के लिए स्थानीय वाहन या भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा ।

(3) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, जब दौरे पर हों, उपरोक्त दरों से यात्रा और दैनिक भत्तों के हकदार होंगे ।

10. पदत्याग, हटाया जाना और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना – (1) बोर्ड का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य,उसके पदत्याग या हटाए जाने की दशा में अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहेंगे ।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा जो उसके त्यागपत्र की तारीख से प्रभावी होगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा सकेगी, यदिं , –

(क) वह यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ; या

(ख) वह अनुपस्थिति की छुट्टी के बिना बोर्ड की तीन आनुक्रमिक बैठकों में उपस्थित नहीं हुआ है ; या

(ग) उसने, जो अध्यक्ष है, छह मास से अधिक से बोर्ड की कोई बैठक नहीं बुलाई है ; या

(घ) वह केन्द्रीय सरकार की राय में अपने कृत्यों के निर्वहन या अनुपालन में असमर्थ है ; या

(ङ) उसे किसी सिविल या आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए, जो छह मास से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध किया गया है ।

(4) बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को, केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रवर्ग से जिसमें ऐसी रिक्ति होती है, भरा जाएगा ।

11. अवशिष्ट उपबंध, – बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा भत्तों से संबंधित विषय, बैठकों का स्थान और बोर्ड की बैठकों में अंगीकार की जाने वाली प्रक्रिया, जिसकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनश्चय बोर्ड, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों पर आबद्धकर होगा ।

[फा. सं. 97/11/2003–आईएनएस. III (ii)]

तरुण बजाज, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2008

G.S.R. 342(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (2) of section 55, read with section 45 and section 46 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the Actuaries Quality Review Board (Procedure for Meetings, and the Terms and Conditions of service and Allowances of the Chairperson and Members) Rules, 2008.

(2) They shall come into fore on the date of their publication in the Official Gazette.

1672 GF/08—2

2. **Definitions:-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006);

(b) "Board" means the Quality Review Board constituted under sub-section (1) of section 43 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Board;

(d) "Council" means the Council of the Institute composed under section 12 of the Act;

(d) "Institute" means the Institute of Actuaries of India constituted under section 3 of the Act;

(e) "member" means member of the Board.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Procedure for the meetings of the Board.-** (1) All meetings of the Board shall, ordinarily, be held at the headquarters of the Institute.

(2) The date and time of any meeting shall be fixed by the Chairperson:

Provided that a notice of not less than fifteen days before the scheduled date of every such meeting shall be given by the Chairperson, or any person so authorised by him on that behalf, to the other members of the Board:

Provided further that the Chairperson, for reasons to be recorded in writing, may call for a meeting at a shorter notice:

Provided also that not more than six months shall elapse between any two meetings.

(3) The quorum for transaction of any business at a meeting of the Board shall be of three members, of which at least one must be nominated by the Central Government under sub-section (3) of section 43 of the Act.

(4) The Chairperson shall preside all the meetings of the Board:

Provided that in the absence of Chairperson, the members shall elect any of the members present on the day of the meeting to chair the meeting.

(5) All questions which come up before any meeting of the Board shall be decided by a majority of the members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairperson or in his absence, the member presiding, shall have a second or casting vote.

4. **Transaction of Business.-** The business of the Board shall ordinarily be transacted at a meeting of the Board.

5. **Agenda for the Board meeting.-** (1) The agenda for a meeting of the Board shall be decided by the Chairperson.

(2) Any matter referred to it by the Central Government or the Council shall be included in the agenda for the meeting of the Board within the time limits as may be specified in such a reference.

(3) The Chairperson may, in appropriate cases, circulate the agenda note and related papers on any issue among members of the Board for resolution by circulation:

Provided that if two or more members of the Board require that any question be decided at a meeting, the Chairperson shall withdraw the papers from circulation and have the question determined at a meeting of the Board.

(4) A decision taken by the circulation of the papers shall be communicated to all the members and shall be noted at the next meeting of the Board.

6. Procedures to be followed by the Board.- In the discharge of its functions, the Board may,-

(a) on its own or through any specialized arrangement set up under the Institute, evaluate and review the quality of work and services provided by the members of the Institute in such manner as it may decide;

(b) lay down the procedure or evaluation criteria to evaluate various services being provided by the members of the Institute and to select, in such manner, as it may decide, the individuals and firm rendering such services for review;

(c) call for information from the Institute, the Council or its Committees, members, Clients of members or other persons or organisations in such form and manner as it may decide, and may also give a hearing to them;

(d) invite experts to provide expert/technical advice or opinion or analysis or any matter or issue which the Board may feel relevant for the purpose of assessing the quality of work and services offered by the members of the Institute;

(e) make recommendations to the Council to guide the members of the Institute to improve their professional competence and qualifications, quality of work and services offered and adherence to various statutory and other regulatory requirements and other matters related thereto.

7. Assistance to the Board.- The Institute shall set up a specialised technical unit to-

(a) provide secretarial assistance, as required, to the Board in the discharge of its functions;

(b) to assist the Board in carrying out review of quality of services provided by the Members.

8. Terms and conditions of service of Chairperson and Members of the Board.-

(1) The tenure of the Chairperson and Members of the Board shall be three years.

(2) The Chairperson and other Members of the Board shall be part-time members.

(3) Chairperson or any Member of the Board shall not be removed or withdrawn except as provided under rule 10.

9. Allowances.- (1) The Chairperson and other Members shall be entitled to travelling and daily allowances as admissible to them in their official capacity, and in case, the Member is not a Government Servant, he shall be entitled to the travelling and daily allowances as admissible to an officer holding a post carrying a scale of pay of a Joint Secretary to the Government of India for attending meetings of the Board at the headquarters of the Institute, if their place of residence is different from the headquarters of the Institute.

(2) The Chairperson or any other Members of the Board whose place of residence is the same as the venue of the Board shall be provided local conveyance or allowance for the local journeys to be performed in connection with the meetings of the Board.

(3) The Chairperson and other Members of the Board, while on tour, shall be entitled to travelling and daily allowances at the above rates.

10. Resignation, removal and filling up of casual vacancy.- (1) The Chairperson and each Member of the Board shall cease to remain the Chairperson or Member, as the case may be, in case of his resignation or removal.

(2) The Chairperson or a Member of the Board may resign from his office by a notice in writing under his hand addressed to the Central Government which shall be effective from the date of resignation.

(3) The Central Government may remove a person from the post of Chairperson or Member, if -

(a) he has become physically or mentally incapable of acting as the Chairperson or a Member, as the case may be; or

(b) he has not attended three consecutive meetings of the Board, without leave of absence; or

(c) he, being the Chairperson, has not called a meeting of the Board for more than six months; or

(d) he, in the opinion of the Central Government, is unable to discharge or perform his duties; or

(e) he has been held guilty by any civil or criminal court for an offence which is punishable with imprisonment for a term exceeding six months.

(4) A casual vacancy in the Board shall be filled by the Central Government, from out of the category in which such vacancy occurs.

11. Residuary provision.- Matters relating to the terms and conditions of services and allowances of the Chairperson and other Members of the Board, the place of meetings and the procedure to be adopted in meetings of the Board, with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the Board, the Chairperson and the other Members.

[F. No. 97/11/2003-Ins. III (ii)]

TARUN BAJAJ, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2008

सा.का.नि. 343(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 16 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 55 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**,- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमांकक अधिकरण (पीठासीन अधिकारी और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**, - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) अभिप्रेत है ।

(ख) "व्यथित व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने उस परिषद का जिससे विवाद संबंधित है, निर्वाचन लड़ा है ;

(ग) " विवाद" से किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा संस्थान की परिषद् के निर्वाचन से उद्भूत उठाया गया विवाद अभिप्रेत है ;

(घ) " निर्वाचन" से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन हुआ परिषद का निर्वाचन अभिप्रेत है ;

(ङ) "पीठासीन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) " विधि व्यवसायी" से भारतीय विधिज्ञ परिषद या किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् में रजिस्ट्रीकृत और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए पात्र कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(छ) " सदस्य" से अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के क्रमशः खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन किसी अधिकरण के सदस्य के रूप् में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ज) "अधिकरण" अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अधिकरण अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किए गए और इनमें परिभाषित न किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ हैं जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें -- (1) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे और अधिकरण की पदावधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे ।

(2) अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या कोई अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(3) अधिकरण का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य, निम्नलिखित किन्हीं कारणों में से किसी कारण से यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या सदस्य नहीं रहेगा , --

(क)मृत्यु ;

(ख) त्यागपत्र ;

(ग) यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या किसी सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानासिक रूप से असमर्थ हो जाता है ;

(घ) वह, यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या किसी सदस्य होने के लिए पात्र नहीं रह जाता है ;

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा हटाया जाना ।

(4) अधिकरण में किसी आकस्मिक रिक्ति को, केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रवर्ग से जिसमें ऐसी रिक्ति होती है, भरा जाएगा ।

4. भत्ते -- (1) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्य का, प्रत्येक दिन की बैठक के लिए भत्ते के रूप में निम्नलिखित रकम का संदाय किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) पीठासीन अधिकारी -- 500 रु0 ;

(ख) सदस्य -- 400 रु0 ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय - समय पर बैठक फीस या मानदेय का पुनरीक्षण कर सकेगी ।

(3) यदि पीठासीन अधिकारी या सदस्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियोजन में है तो वह किसी बैठक फीस का हकदार नहीं होगा किंतु अधिकरण की अवधि के लिए पांच हजार रुपए के एक मुश्त मानदेय का हकदार होगा ।

5. यात्रा और दैनिक भत्ता -- अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, जब दौरे पर हों, उन यात्रा और दैनिक भत्तों के हकदार होंगे जो उन्हें उनकी शासकीय हैसियत में अनुज्ञेय हैं और यदि सदस्य कोई सरकारी सेवक नहीं है तो वह उन यात्रा और दैनिक भत्तों का हकदार होगा जो भारत सरकार के किसी संयुक्त सचिव के वेतनमान वाले किसी पद का धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय हैं ।

6. अधिकरण की बैठकें -- (1) अधिकरण की सभी बैठकें संस्थान के मुख्यालयों में होंगी :

परंतु यदि अधिकरण की यह राय है कि संस्थान के मुख्यालयों से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किसी बैठक को करना न्याय के हित में समीचीन है तो वह ऐसे किसी स्थान पर बैठक कर सकेगा ।

(2) बैठकों की तारीख और समय अधिकरण के अन्य सदस्यों के परामर्श से पीठासीन अधिकारी द्वारा नियत किया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी बैठक् की निश्चित तारीख से पंद्रह दिन से अन्यून पूर्व की एक सूचना पीठासीन अधिकारी द्वारा अधिकरण के अन्य सदस्यों, संस्थान के सचिव और संबंधित पक्षकारों को दी जाएगी ।

(3) अधिकरण की किसी बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति दो से होगी ।

(4) पीठासीन अधिकारी, अधिकरण की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परंतु, अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त पीठासीन अधिकारी, सदस्य की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(5) वे सभी प्रश्न, जो अधिकरण की किसी बैठक के समक्ष आते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत के द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

7.अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया -- (1) अधिकरण, अपने कृत्यों के निर्वहन में, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा इन नियमों के अधीन रहते हुए, अधिकरण अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगा :

परंतु यह कि अधिकरण, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि किसी विवाद की, इसके संस्थित किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर सुनवाई और विनश्चय किया जाता है ।

(2) अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले प्रत्येक पक्षकार को किसी विधि व्यवसायी के द्वारा अधिकरण के समक्ष या उसकी अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार होगा ।

(3) अधिकरण अपना विनिश्चय करते समय, -

(क) आवेदन को खारिज कर सकेगा ;

(ख) सभी या किसी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर सकेगा ;

(ग) सभी या किसी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य और आवेदक या किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित कर सकेगा; और

(घ) उसकी लागत के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

(4) अधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

8. अधिकरण की शक्तियां -- (1) इन नियमों के अधीन किसी विवाद का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए अधिकरण की वहीं शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का पता लगाना तथा उसका पेश किया जाना ;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य स्वीकार करना ; और

(घ) उसके समक्ष प्रस्तुत साक्षियों की प्रति-परीक्षा करना ।

9. अधिकरण की अवधि — अधिकरण की अवधि, निर्देशाधीन विवाद पर इसक विनिश्चय की उद्‌घोषणा की तारीख से 15 दिन के भीतर रहेगी ।

10. **अवशिष्ट उपबंध**, — अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों,बैठकों के स्थान और भत्तों से संबंधित विषय जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनश्चय अधिकरण, पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों पर आबद्धकर होगा ।

[फा. सं. 97/11/2003-आईएनएस. III (iii)]

तरुण बजाज, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2008

G.S.R. 343(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 55, read with sub-section (3) of section 16 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement:** (1) These rules may be called the Actuaries Tribunal (Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Presiding Officer and Members) Rules, 2008.

(2) They shall come into fore on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions:-** (1) In these Rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006);

(b) "aggrieved person" means a person who contested the election to the Council to which the dispute pertains;

(c) "dispute" means a dispute raised by an aggrieved person arising out of the election to the Council of the Institute;

(d) "election" means election to the Council held under sub-section (a) of section 12 of the Act;

(e) "Presiding Officer" means a person appointed as Presiding Officer of a Tribunal under clause (a) of sub-section (2) of section 16 of the Act,

(f) "legal practitioner" means a person registered with the Bar Council of India or any of the State Bar Council and is eligible to appear before the Court of law;

1672 GI/08-4

(g) "Member" means a person appointed as a Member of a Tribunal under clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 16 of the Act, respectively,

(h) "Tribunal" means the Tribunal established under sub-section (1) of section 16 of the Act.

(2) All other words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Terms and conditions of service of the Presiding Officer and Members of the Tribunal:** (1) The Presiding Officer and other members of the Tribunal shall be part-time members and shall be appointed for the term of the Tribunal.

(2) The Presiding Officer or a member of the Tribunal may resign his office by a notice in writing under his hand addressed to the Central Government.

(3) The Presiding Officer and each member of the Tribunal may cease to remain the Presiding Officer or member, as the case may be, due to any of the following reasons,-

(a) death; or

(b) resignation; or

(c) becoming physically or mentally incapable of acting as the Presiding Officer or a Member, as the case may be ; or

(d) his being no long being eligible to be the Presiding Officer or a Member, as the case may be; or

(e) removal by the Central Government.

(4) A casual vacancy in the Tribunal shall be filled by the Central Government, by a notification, from out of the categories in which such vacancy occurs.

4. **Allowances:-** (1) The Presiding Officer and other members of the Tribunal shall be paid the following amount as allowance for each day of sitting, namely,:-

(a) Presiding Officer - Rs.500;

(b) Members - Rs.400.

(2) The Central Government may revise the sitting fee or honorarium from time to time, through notification in the Official Gazette.

(3) If the Presiding Officer or Member is in employment with the Central Government or State Government, he shall not be eligible for any sitting fees but shall be eligible for a lump sum honorarium of Rs. 5000/- <u>for the term of the Tribunal</u>.

5. **Travelling and daily Allowance.-** The Presiding Officer and other Members of the Tribunal, while on tour, shall be entitled to the travelling allowance and daily allowances as admissible to them in their official capacity and in case the Member is not a Government servant, he shall be entitled to the travelling allowance and daily allowances as admissible to an officer holding a post carrying a scale of pay of a Joint Secretary to the Government of India.

6. **Meetings of Tribunal:-** (1) All meetings of the Tribunal shall be held at the headquarters of the Institute:

Provided that, if the Tribunal is of the opinion that in the interest of justice it is expedient to hold a meeting at any other place than the headquarters of the Institute, it may hold a meeting at such a place.

(2) The date and time of the meetings shall be fixed by the Presiding Officer in consultation with other Members of the Tribunal:

Provided that, a notice of not less than fifteen days before the scheduled date of every such meeting shall be given by the Presiding Officer to the other Members of the Tribunal, Secretary of the Institute and the parties involved.

(3) The quorum for transaction of business at a meeting of the Tribunal shall be two.

(4) The Presiding Officer shall preside at all the meetings of the Tribunal:

Provided that in the absence of Presiding Officer, the member appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 16 of the Act shall chair the meeting.

(5) All questions which come up before any meeting of the Tribunal shall be decided by a majority of the members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Presiding Officer or in his absence, the member presiding, shall have a second or casting vote.

7. **Procedure to be adopted by the Tribunal:-** (1) In the discharge of its functions, the Tribunal shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of the Act and these rules, the Tribunal shall regulate its own procedure:

Provided that, as far as practicable, the Tribunal shall try to ensure that a dispute is heard and decided by it within six months from the date of its constitution.

(2) Even party appearing before the Tribunal shall have the right to be represented before it by a legal practitioner or, with the permission of the Tribunal, by any other person.

(3) At the time of giving its decision, the Tribunal may,-

(a) dismiss the application;

(b) declare the election of all or any of the elected candidates to be void

(c) declare the election of all or any of the elected candidates to be void and the applicant or any other candidate to have been duly elected; and

(d) may pass such order as to costs as it may consider appropriate.

(4) All orders and decisions of the Tribunal shall be authenticated by the Presiding Officer and other members of the Tribunal.

8. **Powers of the Tribunal:-** (1) For the purpose of deciding a dispute under these rules, the Tribunal shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavit; and

(d) cross-examining the witnesses produced before it.

9. **Duration of the Tribunal:-** The term of the Tribunal shall be over within 15 days from the date of announcement of its decision on the dispute under reference.

10. **Residuary provision:-** Matters relating to the terms and conditions of services of the Presiding Officer and other members of the Tribunal, the place of meetings and allowances, with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the Tribunal, the Presiding Officer and other members.

[F. No. 97/11/2003-Ins. III (iii)]

TARUN BAJAJ, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.